

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 15/24 में वांछित अभियुक्त शेखर पुत्र बारजादी बंगाली निवासी शांतापुरी कलौनी थाना कासगंज जनपद कासगंज को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-15/24 धारा-379/411 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शेखर पुत्र बारजादी बंगाली निवासी शांतापुरी कलौनी थाना कासगंज जनपद कासगंज को गिरफ्तार किया गया।



घटना का विवरण:- अज्ञात द्वारा 45000/ रू0 रोहित कुमार पुत्र श्री फूल सिंह निवासी भगवती आईटीआई बीएचईएल हाल पता अर्जुन कोल्ड जहानगंज मार्ग थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ के बैग से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में वादी तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0-15/24 धारा-379 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना कमालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त शेखर पुत्र बारजादी बंगाली निवासी ग्राम शांतापुरी कलौनी थाना कासगंज जनपद कासगंज को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शेखर पुत्र बारजादी बंगाली निवासी ग्राम शांतापुरी कलौनी थाना कासगंज जनपद कासगंज ।

बरामदगी का विवरण:-

1. कब्जे से नगद 35000/रू0 बरामद हुये।

अभियुक्त शेखर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0-15/24 धारा-379 भादवि थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0- 409/2020 धारा-120बी/379 भादवि थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर ।
3. मु0अ0सं0-421/2020 धारा- 120बी/379/411 भादवि थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर ।
4. मु0अ0सं0-466/2020 धारा-307/34 भादवि थाना रमाचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर ।
5. मु0अ0सं0-278/2023 धारा-379/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर ।
6. मु0अ0सं0-939/2017 धारा-22/8 स्वापक औषधि और मन प्रभारी पदार्थ अधिनियम थाना सिकतन्दराराउ जनपद हाथरस ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाले थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश राय
2. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री शेष नरायण दीक्षित
4. का0 सचिन कुमार
5. का0 कुणाल कुमार
6. का0 देवेन्द्र कुमार
7. का0 शेखर कटियार

मीडिया सेल फतेहगढ़

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दि0-12.02.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामऔतार पुत्र धारासिंह यादव निवासी ब्राहिमपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-98/1993 वाद सं- 46/1993 धारा- 396,412 भा०द०वि० थाना मेरापुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 12.02.2024 को मा०न्यायालय ए०डी०जे० -5 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री कृष्णकुमार पाण्डेय



कोर्ट मोहर्रर हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार हे०का० देवेन्द्र कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दि०-12.02.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सत्यभान उर्फ लोंडू पुत्र डिप्टी सिंह निवासी दलपुर कुंजपुर थाना सकीट जिला एटा ।
मु०अ०सं०-257/2019 वाद सं-2720/2020 धारा- 174 A भा०द०वि० थाना मेरापुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 12.02.2024 को मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम० कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 04 माह 15 दिन व 500 रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया।



ए०पी०ओ० श्री जितन्द्र कुमार



कोर्ट मोहररि का० मोहित कुमार



पैरोकार का० बबलू कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 12.02.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अं0सं0-22/2024 धारा- 457/380/411 भादवि में 02 अभियुक्तगणों को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अं0सं0- 22/2024 धारा- 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

1. अनिल बाल्मिकी पुत्र कल्लू बाल्मिकी निवासी ग्राम तेरा कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष
2. विजय पाल बाल्मिकी पुत्र रामसनेही बाल्मिकी निवासी ग्राम तेरा कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष

घटना का विवरण- दिनांक 08.02.2024 को अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी श्री धर्मवीर पुत्र स्व मनीराम निवासी ग्राम तेरा सकवाई कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ के घर का ताला व खिड़की तोड़कर घर में रखा सामान जैसे 05 पीतल की परात व 02 भगौना पीतल व 8 टंकी पीतल आदि चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिनांक 10.02.2024 को वादी श्री धर्मवीर उपरोक्त की तहरीर पर मु0अ0सं0- 22/2024 धारा- 457/380 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 12.02.2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण 1. अनिल बाल्मिकी पुत्र कल्लू बाल्मिकी 2. विजय पाल बाल्मिकी पुत्र रामसनेही बाल्मिकी निवासी गण ग्राम तेरा कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियोग उपरोक्त में धारा- 411 भादवि की बढोत्तरी करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 05 पीतल की थाल पुरानी, 04 थाली पीतल पुरानी, 01 परात पीतल पुरानी, 01 चमचा पीतल पुराना, 01 बड़ा व 01 छोटा लोटा पीतल पुराना, 01 बेला पीतल पुराना, 01 भगौना पीतल पुराना।

अनिल बाल्मिकी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 393/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 22/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

विजय पाल बाल्मिकी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 354/2022 धारा 323/506 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 22/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 मनोज कुमार भाटी
2. उ0नि0 सूर्यप्रकाश उपाध्याय
3. का0 गुलाम गौस
4. का0 अनीश कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़







